

**अध्याय ।
राजस्व क्षेत्र**

अध्याय-1

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा एकत्रित कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संगत आंकड़े तालिका 1.1 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एकत्रित राजस्व					
	कर राजस्व	31,139.89	35,717.02	36,624.67	36,565.87	29,425.33
	गैर-कर राजस्व	380.69	766.06	644.16	1096.89	979.67
	कुल	31,520.58	36,483.08	37,268.83	37,662.76	30,405.00
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	सहायता अनुदान	2,825.16	2,184.19	5,843.77	9,473.05	11,458.60 ¹
3	रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	34,345.74	38,667.27	43,112.60	47,135.81	41,863.60
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	92	94	86	80	73

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1



¹ इसमें वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के लिये 2018-19 में प्राप्त ₹ 4,182 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 में राजस्व हानि के लिये प्राप्त मुआवजा मात्र ₹ 157.00 करोड़ था।

राजस्व प्राप्तियां 2016-17 में ₹ 34,346 करोड़ से 21.89 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में 4.07 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 41,864 करोड़ हो गई। जिसमें से रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों (कर एवं गैर-कर) में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 1,115 करोड़ (3.53 प्रतिशत) की कमी आई, जबकि सहायता अनुदान में 8,634 करोड़ (305.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 11.18 प्रतिशत की कमी आई, मुख्यतः अपना कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में क्रमशः ₹ 7,141 करोड़ (19.53 प्रतिशत) और 117 करोड़ (10.67 प्रतिशत) की कमी के कारण है।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली की कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2016-17 में 90.67 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 70.29 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 91.77 प्रतिशत रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान का 8.23 प्रतिशत का योगदान रहा वर्ष 2020-21 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.63 प्रतिशत रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान का 27.37 प्रतिशत का योगदान रहा।

1.1.1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: एकत्रित कर राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2018-19 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2019-20 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2020-21 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2019-20 की तुलना में 2020-21 के वास्तविक में वृद्धि की प्रतिशतता (+) एवं कमी की प्रतिशतता (-)
1	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	13,620.84 (38.14%)	19,186.57 (52.39%)	19,464.95 (53.23%)	15,676.15 (53.27%)	-19.46
2	बिक्री कर	21,144.24 (67.90%)	11,149.17 (31.21%)	5,885.75 (16.07%)	5,474.67 (14.97%)	4,411.20 (14.99%)	-19.43
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,251.40 (13.65%)	4,453.49 (12.47%)	5,028.19 (13.73%)	5,068.01 (13.86%)	4,108.15 (13.96%)	-18.94
4	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,143.93 (10.10%)	4,117.07 (11.53%)	4,458.62 (12.17%)	4,606.39 (12.60%)	3,548.80 (12.06%)	-22.96
5	वाहनों पर कर	1,808.78 (5.81%)	2,115.76 (5.92%)	2,054.75 (5.61%)	1,948.09 (5.33%)	1,676.18 (5.70%)	-13.96
6	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	789.53 (2.53%)	259.18 (0.73%)	10.68 (0.03%)	1.14 (0.003%)	0.67 (0.002%)	-41.23
7	भू-राजस्व	2.01 (0.01%)	1.51 (0.004%)	0.11 (0.0003%)	2.62 (0.007%)	4.18 (0.014%)	59.54
	कुल कर राजस्व	31,139.89	35,717.02	36,624.67	36,565.87	29,425.33	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न कर राजस्वों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2



राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान बिक्री कर/एसजीएसटी से था जिसमें 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,852.27 करोड़ (19.46 प्रतिशत) की गिरावट आई। वर्ष 2020-21 की वास्तविक प्राप्तियों में 'राज्य उत्पाद शुल्क', 'स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क' तथा 'वाहनों पर कर' शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः ₹ 959.86 करोड़ (18.94 प्रतिशत), ₹ 1057.59 करोड़ (22.96 प्रतिशत) तथा ₹ 271.91 करोड़ (13.96 प्रतिशत) की कमी हुई जबकि 'भू-राजस्व' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1.56 करोड़ (59.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वैट, सट्टेबाजी, विलासिता और मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल करने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर 'अन्य कर एवं शुल्क' शीर्ष के तहत कर प्राप्तियाँ 2016-17 में ₹ 789.53 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 0.67 करोड़ हो गई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विविधता के निम्नलिखित कारण बताए:

एसजीएसटी/बिक्री कर

विभाग ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से व्यापार प्रभावित हुई जिसके कारण 2020-21 के दौरान कम एसजीएसटी संगृहीत हुआ।

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने कहा कि कमी प्रमुख रूप से कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने और नई आबकारी नीति की घोषणा के कारण हुई।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई, लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी कार्यालय बंद रहे तथा कोविड-19 महामारी के कारण स्टाम्प पेपरों की बिक्री में गिरावट आई।

वाहनों पर कर

राजस्व संग्रह में कमी प्रमुख रूप से दिल्ली में महामारी और लॉकडाउन के कारण वाहनों के कम पंजीकरण के कारण थी।

भू-राजस्व

भूमि एवं भवन विभाग भू-राजस्व का नियमित संग्राहक नहीं है। हालांकि, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, इस विभाग को भू-राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है।

1.1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व के विवरण तालिका-1.3 में दिए गए हैं।

तालिका-1.3 : एकत्रित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की तुलना में 2020-21 के वास्तविक में वृद्धि (+) एवं कमी (-) की प्रतिशतता
1	ब्याज प्राप्तियां	81.39	396.25	113.46	404.38	467.96	15.72
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	60.13	89.08	102.79	112.38	95.32	-15.18
3	लोक निर्माण	22.23	14.34	17.75	13.28	43.26	225.75
4	ऊर्जा	21.40	26.25	53.15	87.00	33.10	-61.95
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	111.33	99.88	132.06	342.67	137.22	-59.96
6	अन्य ² गैर-कर प्राप्तियां	84.21	140.26	224.95	137.18	202.81	47.84
	कुल	380.69	766.06	644.16	1096.89	979.67	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट 1.3 में दर्शायी गयी है

² लाभांश और लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, कृषिपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्यजीव, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग, अलौह खनन और धातुकार्य उद्योग, पर्यटन, नागरिक आपूर्तियाँ, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

चार्ट 1.3



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गैर-कर प्राप्तियों में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में उतार-चढ़ाव रहा है। 2019-20 में प्राप्त राजस्व की तुलना में 2020-21 में इसमें 10.70 प्रतिशत की कमी आई। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'ब्याज प्राप्तियों' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' से था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में ₹ 63.58 करोड़ (15.72 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' में ₹ 205.45 करोड़ (59.96 प्रतिशत) की कमी आई।

वर्ष 2020-21 के लिए 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' तथा 'ऊर्जा' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 17.05 करोड़ (15.17 प्रतिशत) एवं ₹ 53.90 करोड़ (61.95 प्रतिशत) की कमी हुई जबकि 'सार्वजनिक कार्य' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 29.98 करोड़ (225.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विविधता के निम्नलिखित कारण बताए:

ब्याज प्राप्तियां

2019-20 की तुलना में 2020-21 में ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से लिये गये ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 445.80 करोड़ के भुगतान करने के कारण हुई थी।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

यह विविधता जुर्माना शुल्क के साथ कुल नये पंजीकरणों की संख्या में कमी के कारण थी और विभिन्न विभागों में सभी डीडीओ कार्यरत कर्मचारियों के लिये चिकित्सा और जन स्वास्थ्य शीर्ष के तहत डीजीईएचएस के लिये योगदान/दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों से योगदान को दर्ज कर सकते हैं।

लोक निर्माण

विभाग ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान दावा न की गई जमानत राशियों को लेखा नियमों के अनुसार राजस्व प्राप्ति शीर्षों में अंतरित कर दिया गया।

ऊर्जा

राजस्व में कमी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वार्षिक लाइसेंस शुल्क की अग्रिम प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

प्राप्तियों में विविधता मुख्य रूप से जुर्माना और जब्ती, सेवाओं और शुल्क तथा अदालत/चुनाव से संबंधित अन्य प्राप्तियों की कम वसूली के कारण है।

अन्य गैर-कर प्राप्तियां

वर्ष 2020-21 के दौरान शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष की प्राप्तियों ₹ 31.63 करोड़ की तुलना में ₹ 61.69 करोड़ थी, जो अव्ययित शेष के रूप में कार्य निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) लेनदेन की नमूना जाँच करने एवं नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित लेखाओं और अन्य अभिलेखों के रखरखाव को सत्यापित करने के लिये सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के माध्यम से इन निरीक्षणों का पालन किया जाता है और जिनका मौके पर निपटान नहीं किया जाता है, जो निरीक्षित किए गए कार्यालयों के प्रमुखों/सरकार को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतिलिपियों के साथ जारी किए जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अवलोकनों का शीघ्रता से अनुपालन करें, त्रुटियों और चूकों को सुधारें तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना प्रस्तुत करें। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना विभागों के प्रमुखों और सरकार को दी जाती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी किये गए नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों और 31 मार्च 2021 की उनकी स्थिति परिशिष्ट-1.1 में दर्शाए गए हैं।

लंबित पैराओं की संख्या 8597 (355 नि.प्र. से), जिनमें 2011-12 में ₹ 7,173.40 करोड़ की राशि शामिल है, से बढ़कर 2020-21 के अंत में 10071 (991 नि.प्र. से) हो गई जिसमें ₹ 7,810.93 करोड़ की राशि शामिल है, जो दर्शाता है कि विभाग बकाया पैराग्राफों के निपटान के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

जवाब प्राप्त न होने के कारण पैराओं का इतना अधिक लंबित होना इस तथ्य का परिचायक है कि कार्यालय एवं विभागों के प्रमुखों ने लेखापरीक्षा द्वारा नि.प्र. में इंगित त्रुटियों, चूकों, एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्यकारी कार्रवाई की कमी जवाबदेही को कमजोर बनाता है और राजस्व की परिहार्य हानि का जोखिम उठाता है। लंबित पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार का ध्यान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन और निपटान की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करने के लिये प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

1.1.2.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिये एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। हालांकि, वर्ष 2019-21 के दौरान विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

1.1.2.2 जाँच के लिये लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी लेखा, बही, कागजात एवं अन्य दस्तावेज जो लेनदेन के लिए या आधार के रूप में व्यवहार करते हैं या अन्यथा प्रासंगिक हैं, जिनके लिए लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार किया गया है, उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे। कर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बहुत पहले तैयार किया जाता है और लेखापरीक्षा शुरू होने के एक महीने पहले विभागों को सूचनाएं जारी की जाती हैं ताकि वे संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिये तैयार रख सकें।

डीलरों के प्राथमिक अभिलेख विभाग की डीवैट प्रणाली में उपलब्ध थे, हालांकि कुछ मामलों में इन अभिलेखों की किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिये पर्याप्त नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान 1,036 डीलरों के भौतिक अभिलेखों की गहन जाँच की मांग की लेकिन विभाग ने केवल 336 (32.43 प्रतिशत) डीलरों के अभिलेख उपलब्ध कराए जो डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान की गई नि.म.ले.प. की शक्तियों

का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, इन मामलों में शामिल राजस्व का पता ही नहीं लगाया जा सका। राजस्व विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान मांगे गये 100 प्रतिशत मामलों का अभिलेख उपलब्ध कराया जबकि परिवहन विभाग ने मांगे गये 182 मामलों (74 प्रतिशत) में से 134 मामलों का अभिलेख उपलब्ध कराया।

1.1.2.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटाए गये मुद्दों के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिया गया है या नहीं, सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान ऐक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) जारी करना है। इन ए.टी.एन. को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत रूप से सुनिश्चित कर दिल्ली विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना होता है।

हालांकि जून 2015 एवं दिसंबर 2019 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल 22 पैराग्राफ एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के संबंध में प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में विलंब हुआ था। संबंधित विभागों से ए.टी.एन. इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में औसतन छह महीने की देरी से प्राप्त हुए थे। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में विभागों से 02 पैराग्राफों के संबंध में ए.टी.एन प्राप्त नहीं हुये थे जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ए.टी.एन. के विवरण

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त होने वाली प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में छापे गए पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2014	3+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
2.	2015	0+1 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
3.	2016	4+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
4.	2017	7+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
5.	2018	8+0 (नि.ले.प.)	2+0 (नि.ले.प.)
	कुल	22+1 (नि.ले.प.)	2+0 (नि.ले.प.)

लो.ले.स. ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित पैराग्राफों/नि.ले.प. पर चर्चा नहीं की

1.1.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, जिन्हें विभागों द्वारा स्वीकार किया गया और वसूल की गई राशि परिशिष्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

वर्ष 2008-09 से 2017-18 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,054.81 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिनमें से ₹ 732.28 करोड़ के धन मूल्य वाली टिप्पणियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा मात्र ₹ 2.12 करोड़ (0.29 प्रतिशत) की ही वसूली की गई जो नगण्य थी। वसूली की अल्प राशि विभाग के ढुलमुल रवैये और खराब निगरानी को दर्शाती है।

विभाग उन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार करें, जो स्वीकृत मामलों में वसूली करने में विफल रहे हैं।

1.1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पिछले रुझानों और अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एक जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जो बजट भाषण में हाईलाइट किए गये मामलों, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (राज्य और केंद्र) की प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कवरेज और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव आदि पर विचार करती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थीं जिनमें से क्रमशः 61 और 21 इकाईयों की योजना बनाई गई और उनका लेखापरीक्षा किया गया।

1.1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.5.1 वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 327.22 करोड़ और ₹ 203.25 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियों वाली 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाईओं³ में से

³ मूल्य वार्धित कर-126, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-22, मोटर वाहन कर-16, राज्य उत्पाद शुल्क-1

61 इकाइयों⁴ और 21 इकाइयों⁵ की लेखापरीक्षा की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच में तालिका 1.5 में वर्गीकृत 182 पैराग्राफों में ब्याज का गैर उदग्रहण/कर की गैर-वसूली/जुर्माना और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिसमें ₹ 846.15 करोड़ शामिल थे।

तालिका - 1.5: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अवलोकन

क्र.स.	श्रेणियां	पैराग्राफों/मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर			
1	ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	571.42
2	जीएसटी के तहत रिफंड दावों की प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	32.93
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	7	1.86
4	कर के अतिरिक्त मांग पर ब्याज उदग्रहण नहीं किया गया	4	6.91
5	कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांग की वसूली में विफलता	22	87.74
6	अवैध सांविधिक प्रपत्रों पर कर की रियायती दर का अनियमित अनुमति	1	0.61
7	अन्य अनियमितताएं	93	104.51
कुल		129	805.98
मोटर वाहन कर			
1	बार-बार यातायात कसूरवारों से जुर्माने की कम वसूली	1	0.19
2	अन्य अनियमितताएं	14	31.51
कुल		15	31.70
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क			
1	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण	2	0.27
2	अन्य अनियमितताएं	20	1.34
कुल		22	1.61
उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	अन्य अनियमितताएं	16	6.86
कुल		16	6.86
कुल योग		182	846.15

वर्ष 2019-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 846.15 करोड़ की राशि के कर/शुल्क का कम/गैर-उदग्रहण के उदाहरणों को इंगित किया जिसमें से संबंधित विभाग ने ₹ 94.65 करोड़ के कम मूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

1.1.6 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र पर इस अध्याय में ₹ 701.93 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले आठ पैराग्राफ शामिल हैं। सरकार ने ₹ 94.65 करोड़ की लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। इनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

⁴ दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर-40, मोटरवाहन कर-7, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क-13, आबकारी विभाग-1

⁵ मूल्य वर्द्धित कर-16, मोटर वाहन कर-2, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-3,

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

1.2 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

उप-पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक एवं सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ

शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने अपनी अधिसूचना (सितंबर 2006) के माध्यम से संपत्तियों को उनके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया और वाणिज्यिक पथों, मिश्रित उपयोग पथों, पैदल यात्री शॉपींग पथों तथा पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग पथों को वाणिज्यिक पथों के रूप में अधिसूचित किया। आगे, रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2007 में दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरों (सर्कल रेट्स) को आरम्भ और अधिसूचित किया जिसमें स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से 'ए' से 'एच' तक (जहाँ 'ए' सबसे उच्च दर और 'एच' सबसे कम है) वर्गीकृत अवस्थिति के आधार पर अलग-अलग दरें निर्धारित की थीं। सर्कल रेट्स पिछली बार सितंबर 2014 में संशोधित किए गए थे।

वर्ष 2019-20 के लिए ई-उप-पंजीयक 1, कश्मीरी गेट के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) से पता चला कि दो मामलों में उप-पंजीयक ने प्रतिफल राशि की गणना करते समय इन दो संपत्तियों को आवासीय माना जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ये सम्पत्तियाँ वाणिज्यिक उपयोगिता की थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.38 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा किया कि 13 अन्य मामलों में, उप-पंजीयक ने उन दस्तावेजों को गलत तरीके से पंजीकृत किया था जिनमें एफ, जी और एच वर्गों में स्थित सम्पत्तियों का उल्लेख किया गया था हालाँकि ये सम्पत्तियाँ वास्तव में क्रमशः ई, एफ और जी वर्गों में स्थित थीं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिफल राशि की गणना हेतु निम्न सर्कल रेट्स लागू हुआ और ₹ 8.51 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में वर्णित है।

इस प्रकार, उप-पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक और सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला अक्टूबर 2021 में सरकार को भेजा गया, उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2022)।

व्यापार एवं कर विभाग

1.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

1.3.1 परिचय

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (डीजीएसटी) अधिनियम 2017 एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 140 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित यह धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर ट्रांजिशन-1 रिटर्न दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं जिसे दिनांक 07 फरवरी, 2020 के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आदेश संख्या 01.2020-जीएसटी के तहत उन करदाताओं के लिए जो तकनीकी कठिनाइयों और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित मामलों के कारण ट्रान-1 दाखिल नहीं कर सके, के लिए 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। आईटीसी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था के तहत मौजूदा कानूनों जैसे राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट क्रेडिट) आदि के तहत भुगतान किए गए विभिन्न करों के आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था अर्थात् (क) लीगेसी रिटर्न में क्रेडिट का अंतिम शेष, (ख) पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट, (ग) ड्यूटी भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट, (घ) ड्यूटी भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट जब पंजीकृत व्यक्ति के पास उत्पाद शुल्क/वैट के भुगतान का साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, (ङ) मौजूदा कानून के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य है, (च) कंपोजिशन स्कीम आदि के तहत मौजूदा कानून के अधीन भुगतान किया गया कर इत्यादि में आगे ले जाने के लिए पात्र हैं।

1.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे प्रत्यक्ष तौर पर जीएसटी राजस्व को प्रभावित करते हैं क्योंकि क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ जाने के लिए पात्र है। ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई है:

- (i) क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए परिकल्पित कार्यप्रणाली पर्याप्त और प्रभावी था; तथा
- (ii) क्या निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

1.3.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में डीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 के तहत करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट रिटर्न की समीक्षा शामिल थी। इसमें अधिनियम के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए निर्दिष्ट नियमों की पर्याप्तता, विभागीय सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पता लगाए गए विचलनों पर अनुवर्ती कार्रवाई, ट्रांजिशनल क्रेडिट के संबंध में परस्पर क्षेत्राधिकार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की स्वतंत्र जांच शामिल थी।

1.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

ट्रांजिशनल क्रेडिट लीगेसी व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में आईटीसी का एकमुश्त प्रवाह है और जीएसटी के तहत पिछली व्यवस्था से आने वाले करदाताओं के साथ-साथ नए पंजीकरणकर्ताओं दोनों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। 1,411 उच्च जोखिम वाले मामलों के नमूने की पहचान की गई थी तथा इसमें से 961 मामले (अर्थात् 68.11 प्रतिशत) ट्रान-1 घोषणा फार्म के केवल तालिका 5(सी) के तहत फार्म 16- दिल्ली मूल्य वर्धित कर रिटर्न के अनुसार डीलरों को उपलब्ध डीवैट क्रेडिट के दावों का वर्णन करते हैं और इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में आगे ले जाते हैं। 446 मामले (31.60 प्रतिशत) ट्रान-1 फार्म के अन्य तालिकाओं जैसे- 5(ए), 6(ए), 6(बी), 7(ए) ए, 7(ए) बी, 7(बी) 7(सी) एवं 11 आदि के तहत स्टॉक में रखे इनपुट, अर्ध प्रस्तुति एवं पूर्ण प्रस्तुति के संबंध में सेनवैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त आईटीसी, उत्पाद शुल्क एवं कर का क्रेडिट आदि के दावों तथा ट्रान-2 फार्म के कॉलम 8 के साथ-साथ 5(सी) के तहत दावों को वर्णन करते हैं तथा चार मामले निर्धारितियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने ट्रान-1 घोषणा पत्र नहीं भरा था।

1.3.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की जांच और विभाग द्वारा अपनाई गई ट्रान-रिटर्न सत्यापन प्रक्रिया शामिल थी और विचलनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पता चला।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर दो व्यापक क्षेत्रों अर्थात् प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों में वर्गीकृत किया गया है। प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित कार्यप्रणाली और उसके प्रति प्राप्त लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, और अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन को संबोधित करते हैं।

1.3.6 प्रणालीगत मुद्दे

1.3.6.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का गैर-सत्यापन

व्यापार और कर विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या-2/2018 (फा.सं.03(203)/नीति-जीएसटी/2018/16-18) दिनांक 28 सितंबर 2018 यह निर्धारित करता है कि कर अधिकारी/उचित अधिकारी/क्षेत्राधिकार अधिकारी/जोनल प्रभारी को राजस्व की कमी का प्रत्युत्तर देने और दिल्ली के जीएसटी राजस्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रान-1 और ट्रान-2 का सत्यापन उन करदाताओं का किया जाना चाहिए, जिनका आईटीसी लाभ उच्च स्तर पर था यानी वार्डों के मामले में ₹ 25 लाख से अधिक और केसीएस वार्डों के मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक हो। वार्ड-इनचार्ज को अन्य करदाताओं का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया था, जिनका आईटीसी लाभ ऊपर बताई गई सीमा से कम था।

इसके बाद परिपत्र सं. एफ.3(399)/पॉलिसी-जीएसटी/2013-ऑडिट पैरा 1.2/2020/148-52 दिनांक 07 अक्टूबर 2020 ने उचित अधिकारियों को ट्रान-1 और ट्रान-2 के माध्यम से अग्रेषित आईटीसी की वास्तविकता को सत्यापित करने का निर्देश दिया और यह सत्यापन इस परिपत्र के जारी होने के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन मामलों में आईटीसी को ट्रान-1 और ट्रान-2 में अग्रेषित किया गया था, विभाग द्वारा उनकी वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया गया था। अक्टूबर 2021 में विभाग से ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन न करने के कारणों को बताने के लिए कहा गया है पर उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

1.3.6.2 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण

1411 मामलों के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की नमूना जांच की गई और लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों ने विभिन्न तालिकाओं अर्थात् 5(ए), 5(सी), 6(ए)/(बी), 7ए.ए, 7ए.बी, 7बी, 7सी, और 11 आदि के तहत सेनवैट क्रेडिट, डीवैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त आईटीसी, स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में उत्पाद शुल्क इयूटी कर आदि का क्रेडिट, आधा भेजना या पूरी तरह से भेजना, वैट का क्रेडिट और निर्धारित तिथि से पहले भुगतान किया गया सेवा कर आदि और ट्रेन-2 घोषणा प्रपत्र के कॉलम 8 के क्रेडिट का दावा किया है। तालिका 5(सी) के तहत दावे, व्यापार और कर विभाग के डीवैट पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से भिन्न है, जबकि अन्य तालिकाओं के तहत दावों को डीवैट-पोर्टल से सत्यापित नहीं किया जा सकता था लेखापरीक्षा ने 446 मामलों के प्रासंगिक भौतिक अभिलेखों की मांग की, जहां ₹ 430.21 करोड़ के क्रेडिट का दावा ट्रान-1 और ट्रान-2 प्रपत्रों की अन्य तालिकाओं के तहत किया गया था, जिसके विरुद्ध केवल छः निर्धारितियों के ₹ 3.98 करोड़ की राशि के दावों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया था। सचिव (वित्त) के स्तर पर भी बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण शेष 440 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 426.23 करोड़ के दावे का सत्यापन नहीं किया जा सका (परिशिष्ट 1.5)।

1.3.7 अनुपालन मामले

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अपने ईसीएल में नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में आगे किए गए वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसा कि निर्धारित है। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात्:

- (i) जहां क्रेडिट की उक्त राशि अधिनियम के तहत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य नहीं है; या
- (ii) जहां उसने नियत तारीख से ठीक पहले छः महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं; या बशर्ते कि उक्त क्रेडिट का इतना अधिक हिस्सा जो धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उप-धारा (8) के संबंध में किसी भी दावे से संबंधित है, और जो इस तरह से

स्वीकार्य नहीं है, तथा केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली, 1957 के नियम, 12 में निर्धारित अवधि के भीतर, ईसीएल में जमा होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने 1411 जीएसटीआईएन के ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन किया और पाया कि करदाताओं ने ट्रान-1 की तालिका 1.3.1 के तहत ₹ 571.25 करोड़ की राशि के 507 दावों के संबंध में अनियमित वैट क्रेडिट को आगे बढ़ाया था। पाए गए विचलन तालिका में वर्ग-वार दिखाए गए हैं:

तालिका-1.3.1: विचलन की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

विचलन की प्रकृति	चयनित नमूना		लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		विचलन %	
	सं.	राशि 5 (सी)	सं.	राशि	सं.	राशि
अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी) अग्रेषित (परिशिष्ट 1.6)	1411	1720.35	231	190.62	16.37	11.08
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रेषण (परिशिष्ट 1.7)	1411	1720.35	202	269.23	14.32	15.65
लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया (परिशिष्ट 1.8)	1411	1720.35	50	104.52	3.54	6.08
कंपोजिशन स्कीम के तहत लीगेसी कर व्यवस्था में पंजीकृत डीलरों द्वारा अग्रेषित ट्रांजिशनल क्रेडिट	1411	1720.35	1	0.96	0.07	0.06
लंबित सांविधिक प्रपत्रों पर देय कर की कटौती किए बिना अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया (परिशिष्ट 1.9)	1411	1720.35	23	5.92	1.63	0.34
कुल	1411	1720.35	507	571.25	35.93	33.20

1.3.7.1 अग्रेषित किया गया अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 9 (1) और (2) के अनुसार, एक डीलर जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होना आवश्यक है, कर अवधि के दौरान होने वाली खरीद के टर्नओवर के संबंध में टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा। उस अवधि में जहां एक डीलर के रूप में उसकी गतिविधियों के दौरान खरीदारी होती है और बिक्री करने के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल का उपयोग होना है जो धारा (3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी है जो इस अधिनियम की धारा 7 के तहत बिक्री जो कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदे गए सामान के मामले में कोई टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पंजीकृत डीलर नहीं है।

2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए डीवैट रिटर्नस की संवीक्षा से पता चला कि 231 निर्धारितियों ने ₹ 190.62 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया (परिशिष्ट 1.6)। निर्धारितियों की 2ए और 2बी बेमेल प्रतिवेदन

से पता चला कि निर्धारितियों ने इसके बिक्री डीलरों द्वारा दिखाई गई बिक्री की तुलना में अधिक खरीद दिखाई है और डीवैट रिटर्न में अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया। इस प्रकार, निर्धारितियों द्वारा 231 मामलों में ट्रान-1 फॉर्म में ₹ 190.62 करोड़ के अस्वीकार्य वैट क्रेडिट का दावा किया गया है और बाद में ईसीएल में जमा किया जा रहा है।

विभाग ने 231 मामलों में से 165 मामलों के तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) तथा 31 मामलों में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि 35 मामलों में कोई जवाब नहीं मिला। इसने आगे कहा कि 31 मामलों में से 10 मामलों में मांग उत्थित की गई थी जबकि अन्य 10 मामले (दो मामले सहित जहां तथ्यों और आंकड़ों की विभाग द्वारा पुष्टि की गई थी) केंद्र के अधिकार क्षेत्र में थे।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि मामलों की वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है, जहां मांग उठाई गई है और केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले डीवैट अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे और वैट के क्रेडिट को डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत एसजीएसटी के रूप में आगे बढ़ाया गया।

1.3.7.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रोषण

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों ने लीगेसी कर व्यवस्था के अंतर्गत फाइल 2017-18 की पहली तिमाही के वैट रिटर्न में उपलब्ध कर क्रेडिट की शेष राशियों की तुलना में ₹ 269.23 करोड़ के 202 मामलों में वैट के अधिक क्रेडिट का दावा किया था (परिशिष्ट 1.7)।

विभाग ने 202 मामलों में से 171 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) तथा छः मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि 25 मामलों में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। आगे, विभाग ने बताया कि आठ मामले (तीन मामलों सहित जहां विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई थी) केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में थे तथा दो मामले (प्रत्येक मामले में जहां विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी तथा विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की थी) को रद्द कर दिया गया।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि रद्द करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा केंद्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को डीवैट अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया था और वैट का क्रेडिट डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत एसजीएसटी के रूप में अग्रोषित किया गया था।

1.3.7.3 लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (1) (II) के अनुसार लीगेसी रिटर्न से क्रेडिट का ट्रांजिशन तभी अनुमेय है जब केवल करदाता ने नियत दिन से ठीक पहले छह महीने की अवधि के सभी संबंधित रिटर्न दाखिल किए हों। भले ही मौजूदा कानून के तहत आवश्यक रिटर्न को दाखिल नहीं किया गया है, पर लेखापरीक्षा ने वैट रिटर्न में उपलब्ध आईटीसी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले करदाताओं के उदाहरणों को देखा जो अधिनियम के ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों के विपरीत है। 50 मामलों में लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशन किये हुए ऋण की राशि ₹ 104.52 करोड़ है (परिशिष्ट 1.8)।

विभाग ने 50 मामलों में से 48 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2020) तथा एक मामले में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जबकि एक मामले में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि एक मामले में वही राशि डीवैट रिटर्न (2017-18 की पहली तिमाही) के रूप में अग्रेषित की गई है और ट्रान-1 के अनुसार एक मामले में करदाता की स्थिति रद्द कर दी गई है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाताओं ने लीगेसी कर व्यवस्था के तहत पिछले छः महीने का रिटर्न दाखिल नहीं किया था और डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत वैट क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं थे तथा रद्द किए गए मामलों के संबंध में रद्द करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। भले ही पंजीकरण रद्द कर दिया गया था फिर भी वसूली की स्थिति भी प्रदान की जानी चाहिए थी।

1.3.7.4 लीगेसी कर व्यवस्था में कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत डीलरों द्वारा अग्रेषित ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, अपने ईसीएल में, नियत दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाले दिन की अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषित वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा विद्यमान कानून के अंतर्गत ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें जैसा निर्धारित किया जाये।

इसके अलावा एक डीलर जिसने डीवैट अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए चुना है, को कथित अधिनियम की धारा 16 की

उप-धारा 5 (सी) के अनुसार डीवैट अधिनियम की धारा 9, धारा 14 और धारा 15 के तहत क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती (जीएसटीआईएन-07 AACAS2475A1 ZP/टिन-07730356109) डीवैट अधिनियम की धारा 16 अर्थात् निर्दिष्ट डीलरों के लिए कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत था और उसे मूल्य वर्धित कर की राशि का क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं थी। निर्धारिती ने ट्रान-1 फॉर्म की तालिका 5 (सी) के तहत ₹ 0.96 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (अक्टूबर 2021 एवं दिसम्बर 2021) और उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

1.3.7.5 लंबित सांविधिक प्रपत्रों पर देय कर की कटौती किए बिना अग्रेषित किया गया अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में, नियत दिन से तुरंत पहले के दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषित मूल्य वर्धित कर की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें जैसा निर्धारित किया जाये।

इसके अलावा धारा 140(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार यह निर्धारित है कि कथित क्रेडिट का इतना हिस्सा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए अथवा धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी दावे के लिए आरोप्य है जो केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली 1957 के नियम 12 में निर्धारित ढंग से और अवधि के भीतर स्वीकार्य नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जमा किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे, बशर्ते यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट क्रेडिट के बराबर राशि को विद्यमान कानून के तहत तब वापस किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली, 1957 के नियम 12 में निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाता है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 (परिशिष्ट 1.9) के लिए 23 निर्धारितियों के ₹ 428.57 करोड़ की राशि के सांविधिक फॉर्म डीवैट पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म-9 विवरण के अनुसार ट्रान-1 घोषणा फार्म में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के समय लंबित थे। इस प्रकार डीजीएसटी अधिनियम 2017 के

ट्रांजिशनल प्रावधानों के अनुसार वैट क्रेडिट से नहीं काटे गए लंबित सांविधिक-फॉर्मों के प्रभावी कर को ट्रान-1 में ले जाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 5.92 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया था (परिशिष्ट 1.9)।

विभाग ने 23 मामलों में से 11 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) और 11 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि एक मामले में कोई जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि 11 मामलों में से दो मामलों में जहां तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि विभाग द्वारा की गई थी, कोई भी सी फॉर्म लंबित नहीं है और तीन मामलों में (जहां तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि विभाग द्वारा की गई थी) मांग उठायी गयी है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने 2017 में ट्रांजिशनल क्रेडिट को आगे ले जाने के समय लंबित सांविधिक फार्मों का क्रेडिट प्राप्त किया था जो ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, लंबित सांविधिक फार्मों के प्रति उठाई गई मांग की वसूली की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

1.3.8 सीजीएसटी दावे

1.3.8.1 ट्रान-1 में दावा की गई राशि से अधिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की गई अतिरिक्त राशि

डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117(3) के अनुसार, ट्रान-1 आवेदन में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि को सामान्य पोर्टल पर जीएसटी पीएमटी 2 फॉर्म में अनुरक्षण करने वाले आवेदक के ईसीएल में जमा किया जाएगा।

हालांकि यह उल्लेख करना उचित है कि निर्धारिती के ट्रान-1 फॉर्म (जीएसटीआईएन 07AABCT1296R1ZP) के सत्यापन से पता चला कि करदाता ने ₹ 6.43 करोड़ के ट्रान-1 की तालिका 7ए.ए. और 7बी के तहत सीजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, जबकि सीजीएसटी के तहत ईसीएल को आईटीसी की वास्तविक राशि ₹ 6.61 करोड़ थी। इसलिए, करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रान-1 रिटर्न के अनुसार करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट से बढ़कर ₹ 17.41 लाख के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जमा किया गया था।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (सितंबर 2021) और विभाग ने कहा कि निर्धारिती केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है।

1.4 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.1 परिचय

1.4.1.1 कर-प्रशासन में सामयिक रिफंड तंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अवरूद्ध धन जारी करने के माध्यम से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में निहित रिफंड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जीएसटी शासन के तहत रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करता है। यह निर्णय लिया गया कि दावा और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण परिपत्र सं.17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15.11.2017 तक एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था तथा विस्तृत प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हुए परिपत्र सं.2424/2017-जीएसटी दिनांक 21.12.2017 जारी किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक-सह-मैनुअल प्रक्रिया में आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन दाखिल करने उसी का एक प्रिंट आउट लेकर इसे सभी सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर कार्यालय को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता थी।

1.4.1.2 इसके अतिरिक्त उन रिफंड आवेदनों की आगे की प्रक्रिया, यानी पावती जारी करना, कमी जापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम रिफंड आदेश जारी करना एवं भुगतान सलाह आदि मैनुअल रूप से किया जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड आवेदन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में परिपत्र सं. 79/53/2018-जीएसटी दिनांक 31.12.2018 जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि फॉर्म-जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएं। हालांकि मे रिफंड आवेदनों के प्रसंस्करण के विभिन्न पदों के प्रस्तुतीकरण चरण बने रहे।

1.4.1.3 26 सितम्बर 2019 से रिफंड प्रक्रिया को सामान्य पोर्टल पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक (जिसमें आवेदन जमा करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है) बना दिया गया था (इसे ऑटोमेशन ऑफ रिफंड प्रोसेस भी कहा जाता है) तदनुसार, पहले जारी किए गए परिपत्रों में मैनुअल प्रस्तुत करने और रिफंड दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं या तो उन्हें हटा दिया गया है या संशोधित किया गया है। मास्टर परिपत्र सं.125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18.11.2019 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप

से जमा करने और रिफंड दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया गया है। क्षेत्र संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पहले के कई परिपत्रों जैसे परिपत्र सं.17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15.11.2017, 24/ 24/2017-जीएसटी दिनांक 21.12.2017,37/11/2018-जीएसटी दिनांक 15.03.2018,45/19/2018-जीएसटी दिनांक30.05.2018 (शुद्धिपत्र सहित दिनांक18.07.2019),59/33/2018-जीएसटी दिनांक04.09.2018,70/44/2018 -जीएसटी दिनांक26.10.2018,79/53/2018-जीएसटी दिनांक31.12.2018 एवं 94/13/2019-जीएसटी दिनांक 28.03.2019 को उक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2 के माध्यम से हटा दिया गया है। हालांकि, उक्त परिपत्रों के प्रावधान 26 सितम्बर 2019 से पहले सामान्य पोर्टल पर दायर सभी रिफंड आवेदनों के लिए लागू होते रहेंगे और उक्त आवेदनों को मैनुअल रूप से संसाधित किया जाना जारी रहेगा जैसा कि नई प्रणाली की तैनाती से पहले किया गया था। बोर्ड द्वारा समय-समय पर कुछ अन्य स्पष्टीकरण/परिपत्र भी जारी किए गए थे।

1.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड के मामलों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए की गई थी:

- (i) रिफंड की स्वीकृति के संबंध में जारी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता।
- (ii) कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की प्रभावशीलता।
- (iii) क्या रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

1.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

नवम्बर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान फील्ड ऑडिट के दौरान जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर विभाग में संसाधित किए गए रिफंड मामलों की जांच की गई थी। पैन-इंडिया रिफंड डेटा, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से प्राप्त किया गया था और विस्तृत जांच के लिए रिफंड मामलों का एक नमूना निकाला गया था।

1.4.4 नमूना चयन

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के दौरान संसाधित किए गए दिल्ली जीएसटी विभाग से संबंधित कुल 613 रिफंड मामलों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था जो नीचे दिए गए हैं:

प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामले: करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि के आधार पर 300 उच्च मूल्य प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामले का चयन किया गया था।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामले: 313 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड के मामलों का चयन जोखिम मापदंडों का उपयोग करके किया गया जैसे कि दावा की गई रिफंड राशि (60 प्रतिशत वेटेज), रिफंड की स्वीकृति में विलंब (15 प्रतिशत), रिफंड स्वीकृति/रिफंड दावा का अनुपात (10 प्रतिशत) एवं कमी का जापन (15 प्रतिशत) जारी हुआ।

1.4.5 कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित अनुभाग/नियम/अधिसूचनाएं रिफंड का दावा करने के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करती हैं:

- क) दिल्ली जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 एवं धारा 77
- ख) दिल्ली जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 से 97ए
- ग) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15,16 एवं 19
- घ) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.अ.क.बो.) और दिल्ली जीएसटी विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र

1.4.6 लेखापरीक्षा अवलोकन

लेखापरीक्षा के परिणाम: लेखापरीक्षा के परिणामों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई और इस प्रतिवेदन में शामिल की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार तालिका-1.4.1 में दिया गया है:

तालिका-1.4.1: महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		प्राप्त रिकॉर्ड		देखी गई कमियों की संख्या		नमूना की प्रतिशतता में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
समय के भीतर पावती जारी नहीं हुई	613	220.04	512	176.61	233	---	45.51
समय पर रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं	613	220.04	512	176.61	167	---	32.62
अस्थायी रिफंड आदेश समय के भीतर स्वीकृत नहीं	244	134.02	232	128.99	14	---	6.03
अस्थायी रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं	244	134.02	232	128.99	160	82.63	68.97

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		प्राप्त रिकॉर्ड		देखी गई कमियों की संख्या		नमूना की प्रतिशतता में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
अस्थायी रिफंड आदेश की अनियमित स्वीकृति	301	72.12	256	57.87	3	0.95	1.17
रिफंड की अधिक स्वीकृति	613	220.04	512	176.61	191	22.45	37.30
प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब	300	140.04	5	4.58	1	---	20
रिफंड दावों की पोस्ट ऑडिट करने में विलंब/गैर-संचालन	613	220.04	512	176.61	512	---	100
रिटर्न/आवश्यक दस्तावेजों को भरने की स्थिति जांच किए बिना रिफंड की स्वीकृति	613	220.04	512	176.61	346	88.30	34.18
अभिलेखों की प्रस्तुत न करना	613	220.04	512	176.61	101	43.43	19.73
विविध अवलोकन							
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में अस्वीकृत रिफंड दावे की राशि का गैर-क्रेडिट	613	220.04	512	176.61	11	0.69	2.15
₹ 39,954 के समायोजन के बिना रिफंड का अधिक भुगतान	613	220.04	512	176.61	1	0.0040	0.19
अयोग्य वस्तु पर ₹ 95,238 तक रिफंड का भुगतान	613	220.04	512	176.61	1	0.0095	0.19

जिस सीमा तक अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे, लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

1.4.6.1 समय के भीतर पावती जारी नहीं करना


दिल्ली जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 90(1) में प्रावधान है कि यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो उचित अधिकारी के पास रिफंड का दावा दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी। प्री-ऑटोमेशन मामलों में सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ 15 दिनों की निर्धारित अवधि को रिफंड आवेदन जमा करने की तारीख से गणना की जाएगी।

दिल्ली जीएसटी विभाग द्वारा प्रस्तुत⁶ 199 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 92 रिफंड मामलों में पावती जारी होने में एक से 723 दिनों तक की देरी थी (परिशिष्ट 1.10)।

313 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 141 मामलों में पावती जारी करने में एक से 217 दिनों तक की देरी हुई थी (परिशिष्ट 1.11)।

⁶ अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतिकरण का विवरण पैरा संख्या 6.10 में उल्लिखित है।

चार्ट-1.4.1: प्री-ऑटोमेशन एवं पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड की पावती जारी होने में विलंब



विभाग ने (दिसम्बर 2021) 233 मामलों (92 प्री-ऑटोमेशन एवं 141 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) में से 214 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और 18 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि एक मामले में जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करने, मामले अन्य वार्ड में निपटाने, करदाता द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं कर सकने, लोकसभा चुनाव इयूटी/बार-बार स्थानांतरण/कोविड-19 प्रकोप एवं समय पर रिफंड जारी करने (60 दिनों के भीतर) तथा सिस्टम में गड़बड़ियों के कारण रिफंड जारी करने में देरी हुई थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कानून रिफंड के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करना है और पावती 15 दिनों के भीतर जारी करनी है।

1.4.6.2 रिफंड आदेशों का समय पर स्वीकृत नहीं होना

दिल्ली जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) में प्रावधान है कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उप-धारा (5) के तहत उचित अधिकारी आदेश जारी करेगा।

दिल्ली जीएसटी विभाग के 199 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 104 मामलों में रिफंड स्वीकृत करने में 2 से 901 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने कर-दाताओं को रिफंड का भुगतान देरी से करने कारण अधिनियम की धारा 56 के तहत ₹ 2.50 करोड़ का देय ब्याज का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट 1.12)।


दिल्ली जीएसटी विभाग के 313 पोस्ट-ऑटोमेशन मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 63 मामलों में रिफंड की स्वीकृति में 2 से 172 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने रिफंड के विलंबित भुगतान के लिए करदाताओं को अधिनियम की धारा 56 के तहत ₹ 14.79 लाख के देय ब्याज का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट 1.13)।

विभाग ने 167 मामलों (104 प्री-ऑटोमेशन एवं 63 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) में से 134 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और 31 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि दो मामले में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह भी कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करना, अन्य वार्डों में मामले को निपटाना, करदाता द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करना, लोकसभा चुनाव ड्यूटी/बार-बार स्थानांतरण/कोविड-19 प्रकोप एवं सिस्टम में गड़बड़ियों होने आदि के कारण देरी हुई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह समय सीमा एक वैधानिक आवश्यकता है।

प्री-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन की स्वीकृति में विलंब चार्ट-1.4.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.4.2: प्री-ऑटोमेशन एवं पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड की स्वीकृति में विलंब



1.4.6.3 जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड

दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(6) में दावा की गई कुल राशि के 90 प्रतिशत के अनंतिम रिफंड का प्रावधान है। इसके अलावा, दिल्ली जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन पावती के सात दिनों के भीतर दी जाएगी।

जीरो-रेटेड आपूर्ति से संबंधित दिल्ली जीएसटी विभाग के प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चयनित 300 मामलों में से 137 मामलों को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा को दिए गए 133 मामलों में से 93 मामलों में निम्नलिखित पाया गया:

(i) अनंतिम रिफंड समय के अंदर स्वीकृत नहीं

14 मामलों में ₹ 8.66 करोड़ के अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में 7 से 230 दिनों तक का विलंब था (परिशिष्ट-1.14)।

(ii) अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं

वस्तुओं की जीरो-रेटेड आपूर्ति के 79 मामलों में ₹ 49.27 करोड़ की कुल दावा राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था (परिशिष्ट-1.14)।

विभाग ने 93 मामलों में से 77 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और 13 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जबकि तीन मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी होने, 60 दिनों के भीतर रिफंड जारी होने, अन्य वार्डों में मामले निपटाये जाने, करदाताओं द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकने एवं लोकसभा चुनाव ड्यूटी/बार-बार स्थानान्तरण/जीएसटीएन पर डेटा उपलब्ध नहीं होने तथा सिस्टम में गड़बड़ियां आदि के कारण विलंब हुआ था।

जीरो-रेटेड आपूर्ति से संबंधित दिल्ली जीएसटी विभाग के पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चयनित 313 मामलों में से 97 मामलों में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण संसाधित किया गया था। इन 97 मामलों में से 81 मामलों में दावा की गई कुल ₹ 33.36 करोड़ की राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं की गई (परिशिष्ट-1.15)।

विभाग ने 81 मामलों में से 74 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और पाँच मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि दो मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि अन्य वार्डों में मामले को निपटाये जाने, करदाताओं द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेजों को नहीं जमा करने, बार-बार स्थानान्तरण/कोविड प्रकोप, समय पर

रिफंड जारी करने, विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करने तथा एससीएन/आरएफडी-03 जारी होने आदि के कारण विलंब हुआ था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कानून सात दिनों के अंदर अनंतिम रिफंड की स्वीकृति देता है। 60 दिनों की सीमा रिफंड देने की कुल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है।

1.4.6.4 अनंतिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति

दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(6) के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए वस्तु या सेवाओं या दोनों की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, 90 प्रतिशत दावा किए गए रिफंड को अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद रिफंड दावे के अंतिम निपटान के लिए उपधारा (5) के तहत एक आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार, अन्य श्रेणियों में नहीं बल्कि वस्तुओं और/या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड की अनुमति दी जाती है।

रिफंड मामलों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग ने एक करदाता (प्री-आटोमेशन रिफंड मामलों) को इनवरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण ₹ 95.37 लाख (90 प्रतिशत) की अनंतिम रिफंड जारी किया था, जो वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति से अलग था। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा जारी ₹ 95.37 लाख की अनियमित अनंतिम रिफंड हुआ (परिशिष्ट-1.16)।

विभाग ने सभी तीन मामलों में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021)।

1.4.6.5 रिफंड की अधिक स्वीकृति

दिल्ली वस्तु और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अनुसार, किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग न किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क के परिपत्र संख्या 125/44/2019-जी.एस.टी. दिनांक 18.11.2019 के पैरा 36 के अनुसार रिफंड के लिये आवेदक को अप्रयुक्त आईटीसी यानी कर के भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त आईटीसी से संबंधित रिफंड, कर के भुगतान के बिना एसईजेड यूनिट/एसईजेड डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की रिफंड और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचय पर अप्रयुक्त आईटीसी की रिफंड, प्रासंगिक अवधि

के लिये सी फार्म जीएसटी आर-2ए की एक प्रति अपलोड करनी होगी। या कोई पूर्व या बाद की अवधि जिसमें प्रासंगिक चालान स्वतः भरे गए हैं जिसके लिये रिफंड का दावा किया गया है। उपयुक्त अधिकारी फार्म जीएसटीआर-2ए पर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के हिसाब से साक्ष्य के रूप में निर्भर करेगा जिसके संबंध में आवेदक द्वारा आईटीसी का लाभ उठाया गया है।

साथ ही सरकारी राजस्व के हित में, रिफंड की अनुमति देते हुए, उचित अधिकारी को जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-3बी, आरएफडी-1 और विवरण -1ए में दर्शाए गए राशि में से न्यूनमत आईटीसी के दावा पर विचार करना चाहिए। उसी तरह समायोजित कुल टर्नओवर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, आरएफडी-1 का अधिकतम होना चाहिए।

जीएसटी रिफंड मामलों (प्री-आटोमेशन) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया है कि 71 रिफंड मामलों में विभाग ने ₹ 32.86 करोड़ की स्वीकार्य रिफंड के प्रति ₹ 44.60 करोड़ की रिफंड राशि मंजूर की। इसके कारण ₹ 11.74 करोड़ के अधिक रिफंड की अनुमति हुई (परिशिष्ट-1.17)।

इसके अलावा, 313 चयनित जीएसटी पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की जांच में पाया गया कि 120 मामलों में विभाग ने ₹ 21.57 करोड़ के अनुदेय रिफंड के प्रति ₹ 32.28 करोड़ की राशि रिफंड की मंजूरी दी जिसके कारण ₹ 10.71 करोड़ की राशि के रिफंड की अधिक रिफंड स्वीकृति हुई (परिशिष्ट-1.18)।

निदर्शी उदाहरण:

1. जीरो रेटेड आपूर्ति

आपूर्ति की शून्य दर			
जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	रिफंड का दावा (₹)
07AAFCA1440A1ZH	AA070120057405P	नवम्बर-19	7342542
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जीरो रेट का टर्नओवर (₹)			60016516
समायोजित कुल टर्नओवर (₹)			
जीएसटीआर1	जीएसटीआर3बी	आरएफडी01	विचार की जाने वाली अधिकतम राशि
275826040	275826040	275826040	275826040
निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)			
जीएसटीआर-2ए के अनुसार	जीएसटीआर-3बी के अनुसार	आरएफडी-01 के अनुसार	विचार की जाने वाली न्यूनतम राशि
32092533	33750781	33745115	32092533
स्वीकार्य रिफंड की राशि = (वस्तुओं की आपूर्ति के जीरो रेट का टर्नओवर x निवल आईटीसी +समायोजित कुल टर्नओवर			(60016516×32092533)/275826040
रिफंड स्वीकृत (₹ में)			6982959
स्वीकार्य रिफंड		रिफंड की अधिकता	
7296576		रिफंड स्वीकृत-स्वीकार्य रिफंड	
		313617	

2. इनवरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर

जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	रिफंड का दावा (₹)	
07AAGCM6855J1Z0	AA0711186055491	Nov-18	2595421	
वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के इनवरटेड रेट का टर्नओवर (₹)	वस्तुओं एवं सेवाओं की ऐसी इन्वर्टेड आपूर्ति पर देय कर (₹)			
14380496	1793960			
समायोजित कुल टर्नओवर (₹)				
जीएसटीआर 1	जीएसटीआर3बी	आरएफडी01ए	विवरण-1ए	विचार की जाने वाली अधिकतम राशि
14380496	14380496	14380496	14380496	14380496
निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)				
जीएसटीआर-2ए के अनुसार	जीएसटीआर-3बी के अनुसार	आरएफडी-01 के अनुसार	विवरण-1ए	विचार की जाने वाली न्यूनतम राशि
1972538	4389381	4389381	1907796	1907796
स्वीकार्य रिफंड की राशि = (वस्तुओं की आपूर्ति के इनवरटेड रेट का टर्नओवर) x निवल आईटीसी +समायोजित कुल टर्नओवर- वस्तुओं एवं सेवाओं की ऐसी इन्वर्टेड आपूर्ति पर देयकर				
$\{(14380496 \times 1907796) / 14380496\} - 1793960 = 113836$				
स्वीकृत रिफंड (₹ में)	स्वीकार्य रिफंड	रिफंड की अधिकता		
2595421	113836	2481585		

विभाग ने 191 मामलों (71 प्री-आटोमेशन और 120 पोस्ट-आटोमेशन मामलों) में से 164 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) तथा 22 मामलों में विभाग ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि पांच मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अलावा, विभाग ने कहा कि डीलर ने जीएसटीआर-2ए में कम इनपुट के लिये स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत किया होगा, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिटर्न दाखिल करने के कारण खरीद अगले महीने में प्रतिबिंबित हो सकती है। करदाताओं के खाते में उपलब्ध आईटीसी अनुबंध-बी के अनुसार स्वीकृत रिफंड मामले को अन्य वार्डों में निपटाया गया, करदाता समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाया और जीएसटीएन पोर्टल पर डेटा उलब्ध नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परिपत्र संख्या 79/53/2018-जीएसटी दिनांक 31.12.18 और संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18.11.2019 में कहा गया है कि स्वयं चालानों की प्रमाणित प्रतियां जिनके संबंध में आईटीसी के रिफंड का दावा किया जा रहा है और जो अनुबंध बी में आईटीसी के लिए पात्र घोषित किये गये हैं, लेकिन जो फॉर्म जीएसटीआर-2ए में नहीं भरे गए हैं, उन्हें फार्म जीएसटीआर आरएफडी-01 में आवेदन के साथ आवेदकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। हालांकि, परिशिष्ट-बी चालान की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-आरएफडी-01 के साथ अपलोड नहीं किये गये थे और फाईलों में भी नहीं पाये गये थे। जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-3बी/आरएफडी-01 और विवरण-1ए में परिलक्षित आईटीसी की राशि में से दावा किये गये आईटीसी के न्यूनतम पर विचार करके रिफंड की गणना की जानी है और समायोजित कुल टर्नओवर की अधिकतम जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी/आरएफडी-1 एवं विवरण-1ए के रूप में

लिया जाना चाहिए। अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन विभाग का आंतरिक मामला है। आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी कमी के लिए उचित अधिकारी को आरएफडी-03 (कमी ज्ञापन) जारी करना चाहिए था।

1.4.6.6 प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब

बोर्ड परिपत्र संख्या 24/24/2017-जीएसटी दिनांक 21/12/2017 के अनुसार केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/सं.शा.प्र. संघ राज्य कर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये रिफंड आदेश को संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को सात कार्य दिवसों के भीतर कर या उपकर जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के उद्देश्य से सूचित किया जाएगा। इसमें ये भी दोहराया गया था कि दिल्ली जीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) और नियम 91(2) के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा और रिफंड आदेशों की मंजूरी के लिये नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

विभाग से अनुरोध किया गया था (अगस्त 2021) कि चयनित 199 प्री-ऑटोमेशन मामलों की जानकारी उनके समकक्ष केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण की रिफंड स्वीकृत आदेश मामलों के संचरण से संबंधित है।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि पांच मामलों में उसने केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण को स्वीकृति आदेश जारी किये थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों में से एक मामले में ₹ 1.67 करोड़ शामिल थे, जिसमें आठ दिनों की देरी थी।

शेष 194 मामलों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

1.4.6.7 रिफंड दावों के पोस्ट ऑडिट में विलंब/गैर-संचालन

सीबीईसी परिपत्र संख्या-17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15/11/2017 ने जीरो रेटेड आपूर्ति के रिफंड के मैनुअल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि मैनुअल रूप से संसाधित रिफंड के आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जबतक की बोर्ड द्वारा अलग-अलग विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, चाहे इसमें शामिल राशि कुछ भी हो। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि रिफंड आदेश की पोस्ट ऑडिट मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

यह प्रक्रिया सीबीईसी परिपत्र संख्या 24/24/2017 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 के तहत मैनुअल रूप से संसाधित सभी प्रकार के रिफंड आवेदनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

विभाग से अनुरोध किया गया था (अगस्त 2021) कि चयनित रिफंड स्वीकृति आदेश मामलों (300 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट-ऑटोमेशन) की पोस्ट ऑडिट से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें, हालांकि, संबंधित सूचना विभाग से प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

इस प्रकार, बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के अलावा, पोस्ट ऑडिट का संचालन न करने से राजकोष को राजस्व की संभावित हानि भी हो सकती है।

1.4.6.8 रिटर्न/आवश्यक दस्तावेज आदि दाखिल करने की स्थिति की जांच किये बिना रिफंड की मंजूरी।

सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी (परिशिष्ट-ए) दिनांक 18 नवम्बर 2019 के अनुसार, जीएसटी के तहत रिफंड का दावा करने के लिए एक कर भुगतानकर्ता को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए में आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता थी।

चयनित 512 (199 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट-ऑटोमेशन) रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित देखा गया था:

- (i) ₹ 51.14 करोड़ की राशि के रिफंड के दावे वाले 167 मामलों में करदाता द्वारा रिफंड आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए रिटर्न की कापी जमा नहीं किए जाने के बावजूद रिफंड जारी किया गया था (परिशिष्ट 1.19)।
- (ii) ₹ 36.77 करोड़ के रिफंड के दावे वाले 175 मामलों में, धारा 16(2) (सी) और धारा 42(2) के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे सीए सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग आदि को सत्यापित किए बिना रिफंड जारी किया गया था (परिशिष्ट 1.20)।
- (iii) ₹ 39.07 लाख के रिफंड के दावे वाले 4 मामलों में, जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की स्थिति की जाँच किए बिना रिफंड जारी किया गया था (परिशिष्ट 1.21)।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2021) कि रिफंड दावों को संसाधित करते समय, संबंधित अवधि के जीएसटीआर-2ए का सत्यापन किया गया है और ऑनलाइन मामलों में डीलर ने इसे भौतिक रूप से प्रस्तुत किया है। पैरा सं. (ii) एवं (iii) के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑफलाइन मोड में प्रिंट आउट जमा करना अनिवार्य था और ऑनलाइन मामलों में, फार्म जीएसटीआर-2ए जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

1.4.7 विविध अवलोकन

1.4.7.1 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अस्वीकृत रिफंड के दावे की राशि का क्रेडिट न होना

दिल्ली जीएसटी नियम 2017 के नियम 93 में प्रावधान है कि जहां कोई कमी नियम 90(3) के तहत सूचित की गई हो, वहां डेबिट की गई राशि नियम 89(3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा किया जाएगा। जहां रिफंड के रूप में दावा की गई राशि को नियम 92 के तहत अस्वीकार कर दिया जाता है, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से तो डेबिट की गई राशि, अस्वीकृति की सीमा तक, फार्म जीएसटी पीएमटी-03 में किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा की जाएगी।

जीएसटी रिफंड की लेखापरीक्षा के दौरान 512 मामलों (199 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट-ऑटोमेशन) की जांच की गई और यह देखा गया कि पोस्ट ऑटोमेशन के 11 मामलों में उचित अधिकारी ने ₹ 9.30 करोड़ की दावा की गई रिफंड राशि के प्रति ₹ 0.69 करोड़ की राशि को खारिज कर दिया। हालांकि, अस्वीकृत राशि को संबंधित करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट नहीं किया गया था (परिशिष्ट-1.22)।

विभाग ने सभी 11 मामलों में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021)।

1.4.7.2 ₹ 39,954 के समायोजन के बिना रिफंड का अधिक भुगतान

दिल्ली जीएसटी नियम 92(आईए) के अनुसार जहां जीरो रेटेड आपूर्ति या डीमंड नियति पर भुगतान किये गये कर की रिफंड के अलावा कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि के रिफंड के आवेदन की जांच करने पर, उचित अधिकारी संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत रिफंड देय है, और आवेदक को देय है, तो वह भुगतान की जाने वाली रिफंड की राशि की मंजूरी देते हुए फार्म आरएफडी-06 में एक आदेश देगा।

रिफंड का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, जीएसटी रिफंड मामलों के ऑनलाइन अभिलेख की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो⁷ करदाताओं ने उल्टे कर ढांचे के कारण नवम्बर/दिसम्बर 2018-19 के महीने के लिए आईटीसी पर ₹ 22,98,912 के रिफंड के लिये आवेदन किया था। सक्षम प्राधिकारी ने मांगे गए रिफंड की राशि के प्रति ₹ 22,58,958 की रिफंड राशि स्वीकृत की। हालांकि, ₹ 22,98,112 की राशि के लिए स्वीकृत आदेश

⁷ (i) जीएसटीआईएन-07/AAFPP7742K1Z9/एआरएन-AA0712190455833 एवं (ii) जीएसटीआईएन-07AARFV0873F1ZT/ एआरएन-AA070120015738K

(आरएफडी-6) जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को ₹ 39,954 (₹ 22,98,912 - ₹ 22,58,958) के अधिक रिफंड की अनुमति दी गई थी।

मामले की सूचना विभाग को सितम्बर 2021 में दी गई थी: उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2022)।

1.4.7.3 अपात्र वस्तु पर ₹ 95,238 के रिफंड का भुगतान

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फ्लैट की बिक्री पर एक⁸ करदाता ने कर के भुगतान पर ₹ 95,238 के रिफंड का दावा किया और उतनी ही राशि की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। यह देखा गया है कि फ्लैट निर्धारिती के व्यावसायिक उद्देश्य से जुड़ा नहीं था। इसलिए, अपात्र वस्तुओं पर कर को रिफंड की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95,238 का अधिक रिफंड हुआ। इसके अलावा, लागू ब्याज भी आरोपणीय था।

मामले की सूचना विभाग को सितम्बर 2021 में दी गई थी, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2022)।

1.4.8 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण

जीएसटी रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच के लिये 300 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की जांच की मांग की गई थी। तथापि, विभाग ने केवल 199 रिफंड मामलों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत किये। 10 मामलों के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि शेष 91 मामलों के संबंध में रिफंड अभिलेख हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कारण दिये गये:-

- (क) 19 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने रिफंड आवेदन और प्रासंगिक दस्तावेज भौतिक रूप से विभाग को प्रस्तुत नहीं किये थे।
- (ख) 28 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित अभिलेख का पता लगाने योग्य/उपलब्ध नहीं है।
- (ग) 37 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि रिफंड स्वीकृत/जारी नहीं किया गया है।
- (घ) सात मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि विभाग द्वारा/डीलरों के अनुरोध पर रिफंड के मामलों को खारिज कर दिया गया था (परिशिष्ट-1.23)।

1.4.9 निष्कर्ष

रिफंड के मामलों की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा रिफंड आवेदनों के निपटान और समय पर रिफंड आर्डर स्वीकृत करने में दक्षता की जाँच करने के लिए की गई

⁸ जीएसटीआईएन सं.-07BXTTP6309Q1ZE

थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रि-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों के संबंध में पावती जारी करने में देरी हुई थी जो क्रमशः 1 से 723 दिनों और 1 से 217 दिनों के बीच थी। 167 मामलों में भी अत्याधिक विलम्ब देखा गया जहां समय पर रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं किए गये थे। विभाग ने ₹ 95.37 लाख का अनियमित रिफंड किया था तथा 191 मामलों में ₹ 22.45 करोड़ के अधिक रिफंड को भी स्वीकृत किया।

1.4.10 अनुशासन

- विभाग को समय पर पावती और रिफंड आवेदनों की प्रक्रिया के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के मामले में अनंतिम रिफंड जारी करने के लिए समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पात्र डीलरों/करदाताओं को रिफंड स्वीकृत करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

1.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण की पुष्टि किए बिना निर्धारितियों को ₹ 83.85 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 49.97 लाख का ब्याज तथा ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 9(2)(जी) में प्रावधान है कि व्यापारियों या व्यापारी वर्ग को कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक की क्रय व्यापारी द्वारा भुगतान किए गए कर को वास्तव में विक्रय व्यापारी द्वारा सरकार के पास जमा नहीं कर दिया गया हो या आउटपुट कर देयता के प्रति विधिपूर्वक समायोजित नहीं किया गया हो तथा संबंधित कर अवधि के लिए रिटर्न फाइल में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया हो। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) यह अनुबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह दस हजार रुपये की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान करने में चूक होने पर ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

पांच वार्डों⁹ के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा (मई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि सात निर्धारितियों ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए खरीद के संक्षिप्त विवरण (परिशिष्ट-2ए) के साथ अपनी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल की। व्यापार और कर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध इन निर्धारितियों के खरीद के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के निर्धारितियों ने ₹ 11.12 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 83.85 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया। हालांकि, बिक्री के संक्षिप्त विवरण (परिशिष्ट-2बी) से प्रतिसत्यापन करने पर यह पाया गया कि बेचने वाले व्यापारियों ने निर्धारितियों को केवल ₹ 2.09 करोड़ की बिक्री दिखाई थी और संबंधित कर अवधि के लिए ₹ 15.94 लाख के आउटपुट कर का भुगतान किया था। इसका तात्पर्य है कि निर्धारितियों ने परिशिष्ट-2ए में अनियमित स्थानीय खरीद दिखाई थी और अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया था।

इस प्रकार, जून 2016 और मार्च 2018 के बीच आकलन के दौरान विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख (₹ 83.85 लाख - ₹ 15.94 लाख) के कर के उद्ग्रहण में कमी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 49.97 लाख का ब्याज जिसकी गणना 31 मई 2021 तक की गई है और ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच) कि सभी निर्धारितियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और ₹ 1.64 करोड़ की अतिरिक्त मांग उठाई गई है। इसके अतिरिक्त, चार मामलों में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि एक मामले में, निर्धारितियों ने उठाई गई मांग के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है।

₹ 1.64 करोड़ की वास्तविक वसूली प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

1.6 कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ

निर्धारण प्राधिकारी कर की अतिरिक्त मांग पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 42(2) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी कर, जुर्माना या अन्य देय राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह आकलित राशि के अतिरिक्त, इस तरह की चूक की तारीख से, जब तक कि वह उक्त राशि के

⁹ वार्ड - 1, 62, 71, 84 तथा 90

भुगतान में चूक करना जारी रखता है, ऐसी राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, दैनिक आधार पर संगणित कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दर अधिसूचित किया (अप्रैल 2005)। वर्ष 2016-17 के लिए वार्ड 87 के निर्धारण अभिलेखों (दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) की जांच से पता चला कि चार निर्धारितियों¹⁰ के निर्धारण सितम्बर 2017 और नवम्बर 2017 के बीच पूरे किए गए थे। निर्धारण आदेशों से पता चला कि निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने इन मामलों का निर्धारण करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अस्वीकार कर दिया और नि.प्रा. के नोटिस पर ₹ 10.40 करोड़ के कर की अतिरिक्त मांग उठाई, पर उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही ठहराने के लिए फर्मों की ओर से सभी चार मामलों में न कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्रा. ₹ 10.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग पर ब्याज उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक की तिथि अर्थात् 22 जुलाई 2016 से 31 मई 2021 के बीच की अवधि के लिए ₹ 6.91 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। सरकार ने कहा (सितम्बर 2021) कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर व्यापारियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है परन्तु अतिरिक्त कर एवं ब्याज की वसूली अब तक नहीं हुई है। जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्रों (जुलाई और सितम्बर 2021 के बीच) के अनुसार, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 7.65 करोड़ के ब्याज की गणना/उद्ग्रहण किया गया।

1.7 कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांगों की वसूली में विफलता

विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 87.74 करोड़ की मांगों को वसूल करने में विफल रहा जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) और 33(2) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) में प्रावधान है कि अतिरिक्त कर की राशि देय है और भुगतान उसी तारीख को करना है जिस तारीख को कर अवधि के लिए निबल कर देय था। इसके अलावा, निर्धारित किया गया जुर्माना देय है और उस तारीख को भुगतान योग्य है जिस दिन आयुक्त द्वारा निर्धारण की सूचना दी जाती है। इस अधिनियम के तहत कर की कोई भी राशि, ब्याज या जुर्माना, संयोजन राशि या अन्य राशि जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रहती है, डीवैट अधिनियम की धारा 43 के तहत वसूली योग्य होगी। इसके

¹⁰ टिन नं. 07777226010, 07597226012, 07507226013 और 07777121638

अलावा, डीवैट अधिनियम की धारा 22(9) में प्रावधान है कि पंजीकरण रद्द करने से किसी भी अवधि के देय कर का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति की देयता प्रभावित नहीं होगी और इस तरह के रद्दीकरण की तारीख को भुगतान नहीं किया गया है या उसके बाद मूल्यांकन किया गया है, भले ही वह अन्यथा इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक होने पर डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के तहत ब्याज भी उद्ग्रहणीय होगा।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए सात वार्डों¹¹ के अभिलेखों की जांच से पता चला (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि 22 निर्धारितियों¹² का निर्धारण डीवैट अधिनियम की धारा 32 और 33 तथा सीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के तहत में ₹ 71.15 करोड़ (कर ₹ 42.55 करोड़; ब्याज ₹ 15.66 करोड़ और जुर्माना ₹ 12.94 करोड़) की अतिरिक्त मांग उठाकर पूरा किया गया था (सितम्बर 2014 और मार्च 2019 के बीच)। यद्यपि, उनका पंजीकरण विभाग द्वारा पहले ही जनवरी 2014 और सितम्बर 2017 के बीच रद्द कर दिया गया था। निर्धारितियों को निर्धारण आदेशों में उल्लिखित एक निर्धारित समय अवधि के भीतर मांगों को जमा करने का निर्देश दिया गया था। जिन मामलों में मांगे निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करायी गई, विभाग को डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कर, ब्याज एवं जुर्माने की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करनी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 माह से 53 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने निर्धारितियों के विरुद्ध मांगों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.74 करोड़ (अर्थात् कर ₹ 42.55 करोड़, ब्याज ₹ 32.25 करोड़ जिसकी गणना 31 मई 2021 तक की गई है और जुर्माना ₹ 12.94 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच) कि 20 मामलों में वसूली प्रमाण पत्र/मांग याचिका जारी किए गए हैं और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 139 के तहत बैंक अटैचमेंट भी इन 20 मामलों में से पांच में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, एक मामले¹³ में यह भी कहा कि वसूली नोटिस निर्धारिती के व्यवसाय के प्रमुख स्थल और आवासीय पते पर स्पीड पोस्ट

¹¹ वार्ड सं. 1, 8, 45, 87, 101, 102 तथा 107.

¹² टिन सं.: 07830395824, 07300272586, 07477107350, 07250473937, 07790406031, 07960478348, 07026969103, 07366956500, 07946937880, 07777226010, 07597226012, 07507226013, 07777121638, 07180138889, 07146941004, 0740202252, 07427133228, 07336937650, 07866934206, 07157124792, 07190440311 तथा 07100256206.

¹³ टिन: 07100256206

के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन प्राप्तकर्ता उपलब्ध पते पर नहीं मिला था। डीलर प्रोफाइल में बैंक विवरण भी उपलब्ध नहीं थे। अन्य मामले¹⁴ में, सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मांग निर्धारिती द्वारा जमा की गई थी लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि तिमाही रिटर्न (डीवैट-16) में दिखाए गए चालान, जिसके द्वारा राशि जमा की गई थी, निवल देय कर से संबंधित थे। हालांकि, तथ्य यह है कि निर्धारितियों से ₹ 87.74 करोड़ की मांग की वसूली आज तक (मई 2022) नहीं की गई है।

1.8 अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति कर की रियायती दर का अनियमित भत्ता

निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति निर्धारिती को ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 19.96 लाख का ब्याज एवं ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

केंद्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को कुछ बेचता है, तो इस अधिनियम के तहत कर, जो उसकी कुल बिक्री का दो प्रतिशत या राज्य के बिक्री कर कानून के तहत उपयुक्त राज्य के अंदर ऐसे सामान की बिक्री या खरीद पर लागू दर, जो भी कम हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में प्रावधान है कि खरीद व्यापारी द्वारा विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र विक्रेता व्यापारी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्यथा, व्यापारी के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार पर राज्य के अंदर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये की राशि या कम कर की राशि, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान करने में चूक होने पर ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

¹⁴ टिन: 07140202252

वार्ड-207 के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019 और अगस्त 2019 के बीच) से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए किसी निर्धारिती¹⁵ द्वारा दाखिल तिमाही रिटर्न का आकलन अगस्त 2015 और अक्टूबर 2018 के बीच किया गया था। ऑनलाइन बिक्री का संक्षिप्त विवरण और क्रय डीलरों से फॉर्म-9 में प्राप्त सांविधिक फॉर्म के विवरण ने दर्शाया कि निर्धारिती ने सात सांविधिक 'सी' फॉर्म के प्रति ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री, की जिसके लिए कर का भुगतान दो प्रतिशत की रियायती दर से किया गया। हालांकि, राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के ऑनलाइन डेटा से प्रति-सत्यापन करने पर पता चला कि ये सात सांविधिक फॉर्म पहले ही अवैध घोषित किए जा चुके थे। इस प्रकार, इन सात सांविधिक फॉर्म के प्रति निर्धारिती द्वारा रियायती दर पर दावा किया गया कर अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 19.96 लाख का ब्याज (31 मई 2021 तक परिकलित) तथा ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2021) कि चूक का मूल्यांकन कर दिया गया है तथा संशोधन आदेश दिनांक 16 और 19 जुलाई 2021 के द्वारा व्यापारी के विरुद्ध ₹ 59.69 लाख (अनुपातिक आधार पर परिकलित, कर - ₹ 20.33 लाख, ब्याज - ₹ 19.03 लाख एवं जुर्माना - ₹ 20.33 लाख) की मांग की गई है। मांग की वसूली अब तक नहीं की जा सकी, क्योंकि व्यापारी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और दिवालियापन की याचिका दायर की थी, लेकिन मामला 21 सितम्बर 2021 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। अतः अब व्यापारी के विरुद्ध वसूली शुरू कर दी गई है।

परिवहन विभाग

1.9 बार-बार यातायात उल्लंघन करने वाले से जुर्माने की कम वसूली

उल्लंघनकर्ताओं पर दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के बजाय पहले अपराध की दर से जुर्माना लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अलावा बार-बार यातायात के अपराधों को रोकने की कोशिश करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को नकारा जाना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचना संख्या एफ-19(95)/टीपीटी/सचि./10/257 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के माध्यम से

¹⁵ जे.जे. पौली इमेक्श, टिन सं. 07720330943

दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल/सहायक उप-निरीक्षक तथा ऊपर के अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किए गए यातायात अपराधों को कम करने के लिए अधिकृत किया। बार-बार यातायात अपराधों को रोकने के लिए अधिसूचना में दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान भी थे।

परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए (दिसम्बर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) हैंडहेल्ड संचार उपकरणों के माध्यम से जारी चालानों के रिकॉर्ड/डेटा के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988/केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (1989)/दिल्ली मोटर वाहन नियमावली (1993)/मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं/नियमों के तहत दण्डनीय पुनरावृत्त अपराध के 7,422 मामले थे। इन सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं द्वारा परिवहन विभाग को जुर्माने के भुगतान किए गए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए हैंडहेल्ड संचार उपकरणों में आवश्यक सिस्टम संशोधन नहीं किए गए और उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के बजाय 'पहले अपराध' की अधिसूचित दर पर लगाया गया था, जो कि पहले अपराध की तुलना में लगभग दोगुना/तीनगुना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने का कम संग्रहण हुआ।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2021) कि 2016 में सभी मैनुअल चालान जारी किए गए थे और सड़क पर मैनुअल चालान जारी करते समय दूसरे या बाद के अपराधों का पता लगाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों के पास कोई तंत्र नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) 01 सितम्बर 2019 को अधिसूचित किया गया। संशोधित अधिनियम के अनुसार चालान अधिकारियों के पास कोई कंपाउंडिंग अधिकार नहीं थे और प्रवर्तन शाखा द्वारा कोई कंपाउंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी चालान पिछले या बाद के अपराधों के विवरण के साथ अदालत को भेजे गए। दूसरे या बाद के अपराधों के लिए जुर्माना वसूलना पूरी तरह से एक न्यायिक मामला है। अब, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने दूसरे या बाद के अपराधों के लिए उल्लंघनकर्ता की पहचान करने के लिए आवेदन में प्रावधान किया है और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा 14 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार दूसरे या बाद के अपराधों के लिए जुर्माना वसूल रही है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित मामले अदालतों को नहीं भेजे गए थे क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान यातायात उल्लंघनकर्ताओं द्वारा किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, दूसरे और बाद के अपराध के लिए दरें 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की गईं, जिसमें दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल/सहायक उप-निरीक्षक और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों और परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को किए गए यातायात अपराधों को कम करने के लिए अधिकृत किया गया था। साथ ही, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने विभाग द्वारा दावा किए गए 'कंपाउंडिंग पावर' को नहीं छीना। फिर भी 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना में न केवल पहले अपराध (जो लगाया जा रहा था) के लिए बल्कि दूसरे और बाद के अपराधों के लिए भी दंड को परिभाषित किया गया था (जो नहीं लगाए जा रहे थे)।

अतः, उल्लंघनकर्ताओं पर प्रथम अपराध की दर के स्थान पर दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के अनुसार जुर्माना आरोपित करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त बार-बार होने वाले यातायात अपराधों को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को भी हासिल नहीं किया गया था।